

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गॉंधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

क्रमांक...../एम.सी./अराज-5/2022

भोपाल, दिनांक...../09/2022

कार्यालयीन आदेश

प्रमाणित किया जाता है कि स्वशासी गॉंधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के अधीन संबद्ध संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय भोपाल की स्थापना में पदस्थ स्वशासी स्टाफ नर्सों को संबंधित चिकित्सा महाविद्यालयों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर एवं मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ-एफ 2/57/2018 /55-1 दिनांक 30 सितम्बर 2018 में वर्णित बिन्दु 01 से 04 जो निम्नानुसार है के अन्तर्गत सर्शत नवीन नियुक्ति दी जाती है। जिनका विवरण निम्नानुसार है।

क	कर्मचारी का नाम (जाने वाले)	पदस्थापना स्थल (जाने वाले)	कर्मचारी का नाम (आने वाले)	पदस्थापना स्थल (आने वाले)
1	सजनी, (अनुसूचित जन जाति)	गॉंधी0महा0भोपाल	गीता धुर्वे, (अनुसूचित जन जाति)	चि0 महावि0 इंदौर
2	काजल चक्रवर्ती, (अनारक्षित)	गॉंधी0महा0भोपाल	प्रियंका पाल, (अनारक्षित)	चि0 महावि0 इंदौर
3	हेमलता कुशवाह, (अनारक्षित)	गॉंधी0महा0भोपाल	रितिका उइके, (अनारक्षित)	चि0 महावि0 इंदौर
4	अनुराधा मीणा, (अनारक्षित)	गॉंधी0महा0भोपाल	निदेशिका नामदेव (अनारक्षित)	चि0 महावि0 इंदौर
5	वर्षा राठौर, (अनारक्षित)	गॉंधी0महा0भोपाल	रेणुका नाईक, (अनारक्षित)	चि0 महावि0 इंदौर

1. पारस्परिक नियुक्ति के आवेदन समान पद एवं समान संवर्ग के लिए होना चाहिए, ऐसे आवेदन पत्रों पर संबंधित दोनों आवेदकों के हस्ताक्षर होना चाहिए।
2. पारस्परिक नियुक्ति के प्रकरणों में दोनों आवेदकों को संबंधित महाविद्यालयों में चयन किया जाने की दशा में संबंधित महाविद्यालय ऐसे आवेदकों को नवीन नियुक्ति दे सकेगा।
3. नवीन नियुक्ति दिये जाने की दशा में पूर्व महाविद्यालय में की गई सेवा का वेतन संज्ञान में लेते हुए चयनित व्यक्ति का वेतन निर्धारित किया जा सकेगा।
4. उक्तानुसार वरीयता निर्धारण के लिए नवीन नियुक्ति मानी जावेगी और ऐसी नियुक्ति पालन में महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरीयता निर्धारित होगी।
5. उपरोक्त अनापत्ति पत्र दोनो आवेदकों द्वारा अपने अपने नवीन कार्यस्थल पर चयनोपरांत कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में ही पूर्ण प्रभावी मान्य होगी। दोनो आवेदको में से एक भी आवेदक द्वारा अपनी नवीन पदस्थापना पर कार्य भार ग्रहण न करने पर उक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वयमेव निरस्त माना जायेगा एवं आवेदकों को अपने मूल नियुक्ति स्थल पर पुनः कार्यभार ग्रहण करना होगा।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गॉंधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल
भोपाल, दिनांक ...6./09/2022

पृ. क्रमांक 34649-56 /स्था/अराज-5/2022
प्रतिलिपि:-

1. अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (शासकीय स्वशासी संस्था) महात्मा गॉंधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर की ओर सूचनार्थ।
2. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मेड्रन, हमीदिया चिकित्सालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. संबंधित कर्मचारी स्वशासी स्टाफ नर्स द्वारा - संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित।
5. आदेश नस्ति / व्यक्तिगत नस्ति।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गॉंधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी संस्था भोपाल